छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 666/2008

1. श्री राकेश मिश्रा, – *अपीलार्थी*
दुर्गाजी मंदिर के पास,
इस्पात नगर, रिसाली, भिलाई,
जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* – *प्रति अपीलार्थी*
जिला शिक्षा अधिकारी,
दुर्ग (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 04 अप्रैल, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री राकेश मिश्रा द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग के समक्ष दिनांक 29.11.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 12. 12.2007 को व्यक्तिगत जानकारी मॉगने के कारण निरस्त किया गया, उक्त कार्यवाही से असंतुष्ट होकर उनके द्वारा दिनांक 03.03.2008 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु उक्त अपील पर भी जानकारी प्रदाय नहीं कराने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 11.06.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष के तर्कों का श्रवण किया गया । प्रकरण में दिनांक 17.09.2008 को यह आदेश दिये गये थे कि प्रकरण में तृतीय पक्ष को मानकर जानकारी नहीं दी गई है, चूंकि यह जानकारी शासकीय अभिलेख का अंग है और उक्त जानकारी छूट की श्रेणी में नहीं आती है, अतः चाही गई जानकारी 15 दिवस में निःशुल्क दी जावे । उसके बाद भी जानकारी नहीं दिये जाने के कारण जन सूचना अधिकारी को विलंब के लिए दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 23.01.2009 को प्रस्तुत किया गया तथा उत्तर के साथ कुछ जानकारी समक्ष में अपीलार्थी को प्रदान की गई । अपीलार्थी ने अपने तर्क में यह बताया कि उन्हें जानकारी देने में काफी गुमराह किया गया और कुछ अन्य प्रकरणों में वहीं जानकारी या उसी प्रकार की जानकारी उन्हें दे दी गई है, जबकि इस प्रकरण में जानकारी व्यक्तिगत मानकर नहीं दी गई है । प्रकरण में अंतिम सुनवाई दिनांक को जिला शिक्षा अधिकारी भी उपस्थित हुये थे और उन्होंने बताया कि उनके द्वारा हाल ही में कार्यभार ग्रहण किया गया है तथा विलंब के लिए पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी ही जिम्मेदार है तथा उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि आज दी गई जानकारी के अतिरिक्त अन्य कोई जानकारी अपीलार्थी शेष बताते है तो उन्हें 15 दिवस के अन्दर निःशुल्क प्रदान की जावेगी ।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि यदि कोई जानकारी शेष बची हो तो वह अपीलार्थी को 15 दिवस के अन्दर निःशुल्क प्रदान की जावे । प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र के उत्तर में बताया गया है कि विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी से जानकारी देर से प्राप्त होने के कारण जानकारी देने में विलंब हुआ है तथा कुछ जानकारी दिनांक 24.12.2008 को दे दी गई थी और शेष जानकारी आज दी गई है । जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर यद्यपि पूर्णतः संतोषप्रद नहीं है, चूंकि जानकारी छिपाने में उनकी कोई दुर्भावना प्रतीत नहीं होती है, अतः प्रकरण में शास्ति की कार्यवाही की आवश्यक नहीं है, इसलिए जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है । प्रकरण में संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को अधिनियम की धारा–20(2) के अन्तर्गत यह अनुशंसा की जाती है कि जिस जिला शिक्षा अधिकारी और विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में जानकारी देने में विलंब किया गया है अथवा अपीलार्थी को गुमराह किया है उनके विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे । अपीलार्थी ने यह जानकारी इस उद्देश्य से चाही है कि एक उच्च वर्ग संगीत शिक्षक श्री ब्रजदीपन दास गुप्ता को गलत तरीके से पदोन्नति देकर उनसे वरिष्ठ कई अन्य शिक्षकों को पदोन्नति से वंचित रखकर पक्षपात किया जाकर अन्याय किया जा रहा है । अतः इस बिन्दु पर उनके द्वारा सभी नियमों इत्यादि के अन्तर्गत अपीलार्थी की शिकायत का परीक्षण किया जावे और इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा अपीलार्थी को भी उनसे अवगत कराया जावे । प्रकरण में विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से राशि 300/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com